

जी हाँ।

विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार मल्टी स्टोरी भवन मानको के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं। भवन का निर्माण पूर्ण हो जाने पर मल्टीस्टोरीज को प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता के अनुरोध पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तदोपरान्त निर्माणकर्ता द्वारा भवन को अध्यासित किया जाता है।

मा0 सदस्य द्वारा किसी विशिष्ट बिल्डिंग का उल्लेख न किये जाने के कारण उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री योगी आदित्यनाथ,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।